Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY)

OPERATIONAL GUIDELINES

1. Scheme

The Government of India has introduced an old age pension scheme for all land holding Small and Marginal Farmers (SMFs) in the country, namely, the **"Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana (PM-KMY)"**, as a voluntary and contributory pension scheme for the entry age group of 18 to 40 years. The Scheme is effective from the 9th August, 2019.

2. Objective and Benefits

There have been a series of interventions for income and price support by the Government for farmers. However, there is a felt need to create a social security net for the farmers as old age may result in loss of livelihood for many of them. Farming requires hard work in fields which becomes difficult at an advanced age. The problem is compounded in respect of small and marginal farmers as they have minimal or no savings to provide for old age. The Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana (PM-KMY) provides for an assured monthly pension of Rs. 3000/- to all land holding Small and Marginal Farmers (SMFs), whether male or female, on their attaining the age of 60 years. Farmers falling within the purview of the exclusion criteria (as defined in Para 5 of these guidelines) are, however, not eligible for the benefit. The key features and other consequential benefits accruing to the subscribers of the Scheme are detailed further in these guidelines.

3. Definitions :

(a) **"BENEFICIARY"** shall mean the subscriber and in case of his/her death his/her spouse;

(b) "**Contribution**" means the amount specified in the contribution chart appended with this Scheme as modified by the Government from time to time, to be payable monthly or periodically by an eligible subscriber to the scheme;

(c) "**CSC**" means "**Common Service Centre e-Governance Services India Limited – Special Purpose Vehicle**" a company promoted by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).

(d) "**EFFECTIVE DATE**" in relation to the Scheme means the date from which this scheme takes effect / starts i.e. the 9th August, 2019;

(e) **"Enrolling Agency"** or **"Enrollment Agency"** means the agency chosen by the Government for enrollment of subscribers. Presently, CSC-SPV and State Nodal Officers (SNOs) or agency chosen / nominated by them is the enrolling agency.

(f) **"ENTRY DATE"** means

a. in relation to the original subscribers the Effective Date; and

b. in relation to new subscribers admitted to the Scheme after the Effective Date, their Date of Joining;

(g) "**Eligible subscriber**" means a Small and Marginal Farmer who is eligible to join this Scheme;

(h) "**Family**" means, —

(i) wife, in the case of male eligible subscriber;

(ii) husband, in the case of a female eligible subscriber;

(i) "**Government**" or "**Central Government**" or "**Ministry**" or "**Department**" means "Government of India through the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare";

(j) "**LIC**" or "**Corporation**" means "Life Insurance Corporation of India" , a statutory corporation established by Life Insurance Corporation Act, 1956;

(k) "**Matching contribution**" means the equal amount as contributed by the eligible subscriber, payable by the Central Government to the Fund;

(l) **"NORMAL RETIREMENT DATE**" or the **"Vesting date"** shall mean in respect of each subscriber the date on which he / she completes the age of 60 years;

(m) "**Pension**" means Assured Monthly Amount payable as Pension under this Scheme to the eligible subscriber or his/her spouse ;

(n) "**Pension fund**" or **"Fund"** means the fund created by the Central Government and managed by LIC of India in which the contributions made by the subscribers and the matching contributions made by the Government would be deposited. The Government Pool Account together with the Subscriber's Individual Account (hereinafter called the "SIA") shall constitute the Pension Fund under the scheme.

(o) **"Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme"** or **"PM-Kisan"** means the Central Sector Scheme administered by the DACV&FW for providing direct income support to the farmers.

(p) **"Small and Marginal Farmer"** or **"SMF"** means a farmer who owns cultivable land upto 2 hectare as per land records of the concerned State/UT".

(q) **"Sponsor Bank"** means bank nominated by the Corporation, presently the IDBI Bank, for providing banking services under the scheme.

(r) **"State Nodal Officers"** or **"SNOs"** means the officers of the State/UT Governments who are responsible for preparing the list of farmers, including, SMFs under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan) Scheme.

(s) **"SUBSCRIBER"** means a Small and Marginal Farmer who has joined this Scheme, and his / her spouse in case of his / her death;

4. Eligibility

All Small and Marginal Farmers (SMFs) in all States and Union Territories of the country, who are of the age of 18 years and above and upto the age of 40 years, and who do not fall within the purview of the exclusion criteria as mentioned in the guidelines, are eligible to avail the benefits of this Scheme by joining it.

5. Exclusions

5.1 The following categories of farmers have been brought under the exclusion criteria:

(i) SMFs covered under any other statuary social security schemes such as National Pension Scheme (NPS), Employees' State Insurance Corporation scheme, Employees' Fund Organization Scheme etc.

(ii) Farmers who have opted for Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan Yojana (PM-SYM) administered by the Ministry of Labour & Employment

(iii) Farmers who have opted for Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-dhan Yojana (PM-LVM) administered by the Ministry of Labour & Employment

(iv) Further, the following categories of beneficiaries of higher economic status shall not be eligible for benefits under the scheme:

(a) All Institutional Land holders; and

(b) Former and present holders of constitutional posts

(c) Former and present Ministers/ State Ministers and former/present Members of Lok Sabha/ Rajya Sabha/ State Legislative Assemblies/ State Legislative Councils,former and present Mayors of Municipal Corporations, former and present Chairpersons of District Panchayats.

(d) All serving or retired officers and employees of Central/ State Government Ministries/ Offices/Departments and their field units, Central or State PSEs and Attached offices/ Autonomous Institutions under Government as well as regular employees of the Local Bodies *(Excluding Multi Tasking Staff / Class IV/Group D employees)*

(e) All Persons who paid Income Tax in last assessment year.

(f) Professionals like Doctors, Engineers, Lawyers, Chartered Accountants, and Architects registered with Professional bodies and carrying out profession by undertaking practice.

5.2 For the purpose of exclusion State/UT Government can certify the eligibility of the beneficiary based on self declaration by the beneficiaries. In case beneficiary is not available /does not reside in the village, State/UT Governments may consider certification based on the declaration by other adult member of his/her family. In case of incorrect self declaration, beneficiary shall not be eligible for financial benefit under the Scheme.

6. Key features of the Scheme

(i) The PM-KMY is a Central Sector Scheme, administered by the Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare, Government of India in partnership with the Life Insurance Corporation of India (LIC).

(ii) The LIC shall be the Pension Fund Manager and responsible for Pension pay out.

(iii) It is a voluntary and periodic contribution based pension system meant for all land holding Small and Marginal Farmers (SMFs) throughout the country, subject to aforesaid exclusion criteria.

(iv) The SMFs shall have the option to allow payment of his/her voluntary contribution to the Scheme from the financial benefits received by them from the PM-KISAN Scheme, directly.

(v) The eligible SMFs who are desirous of using their PM-Kisan benefit for contributing for PM-KMY, will have to sign and submit an enrolment-cum-auto-debit-mandate form for giving their consent for auto-debiting their bank accounts, in which their PM-Kisan benefits are credited, so that their contributions are automatically paid;

(vi) The eligible SMFs who are not beneficiaries of PM-Kisan or who have not given consent to allow payment from the benefit of PM-Kisan shall submit an enrolment-cum-auto-debit mandate form for giving their consent to auto-debit a bank account which is normally used by them for bank transactions;

(vii) The Central Government through the Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare shall also contribute an equal amount as contributed by the eligible subscriber, to the pension Fund. Account of such co-contributions shall be maintained separately by the LIC and these co-contributions along with fund earnings from time to time shall be utilized for pension payment on the date of vesting. Co-contributions would not be paid to subscribers in case of pre-mature exits. In such a case, the co-contributions along with fund earnings will be transferred back to Pension Fund.

(viii) The State / UT Governments will have the option of sharing the burden of individual SMF beneficiary's contribution.

(ix) The monthly contributions will fall due on the same day every month as enrolment date. The beneficiaries may also chose an option to pay their contributions on quarterly, 4-monthly or half-yearly basis. Such contributions will fall due on the same day of such period as the date of enrollment;

(x) The amount of the monthly contribution shall range between Rs.55 to Rs.200 per month depending upon the age of entry of the farmers into the Scheme, as per the following contribution chart:

Entry Age	**Superannuation Age**	**Member's contribution (Rs.)**	**Government's contribution (Rs.)**	**Total contribution (Rs.)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
18	60	55	55	110
19	60	58	58	116
20	60	61	61	122
21	60	64	64	128
22	60	68	68	136
23	60	72	72	144
24	60	76	76	152
25	60	80	80	160
26	60	85	85	170
27	60	90	90	180
28	60	95	95	190
29	60	100	100	200
30	60	105	105	210
31	60	110	110	220
32	60	120	120	240
33	60	130	130	260
34	60	140	140	280
35	60	150	150	300
36	60	160	160	320
37	60	170	170	340
38	60	180	180	360
39	60	190	190	380
40	60	200	200	400

(xi) In case of death of subscriber before vesting date, the spouse of subscriber shall have an option of continuing the scheme by payment of remaining contributions under the scheme, provided she/he is not already an SMF beneficiary of the Scheme. The rate of contribution and vesting date shall remain the same. Pension accruals will be calculated as if subscriber were to be alive on the vesting date. However, the same pension would be payable to the spouse. Upon death of spouse after vesting date, pension corpus would be transferred back to Pension Fund.

(xii) In case of death of subscriber before vesting date, if the spouse does not exercise option of continuing under the scheme, then subscribers' contributions along with fund

interest earned or Savings Bank Interest whichever is higher would be payable to the spouse under the scheme.

(xiii) In case of death of subscriber before vesting date, if there is no spouse, then subscribers' contributions along with fund interest earned or Savings Bank Interest, whichever is higher, would be payable to the nominee/s under the scheme. The co-contributions made by Government along with fund interest earned after adjusting for difference between Savings Bank Interest payable and fund interest earned, if any will be credited back to Pension fund of Government.

(xiv) If a subscriber dies after the date of vesting, his/her spouse shall be entitled to receive fifty per cent of the pension received by such eligible subscriber as Family Pension, provided she/he is not already an SMF beneficiary of the Scheme, and such family pension shall be applicable only to the spouse.

(xv) After death of subscriber as well as of his/her spouse, the corpus i.e. total accumulated contributions made by the subscriber and the Government shall be credited back to the fund.

(xvi) The Eligible SMFs desirous of joining the scheme shall visit nearest Common Service Centre (CSC) along with his Aadhaar card and bank passbook or account details.

(xvii) The Village Level Entrepreneur (VLE) present at the CSC shall complete the on-line registration process after taking details of Aadhaar number, name, date of birth, spouse and nominee particulars, mobile number (optional), address and a few other details.

(xviii) The on-line registration process includes capturing of bank account particulars and completion of an auto-debit mandate to the bank account of the subscriber for debiting contribution amount to the subscriber's bank account every month. The demand will be made by the sponsor bank/IDBI, on behalf of LIC of India.

(xix) The data would be checked by the CSC through manual verification of bank particulars from supporting documents, demographic authentications of Aadhaar, etc.

(xx) The mobile number (optional) given by the subscriber will be verified by OTP verification process.

(xxi) The subscriber will authenticate the data in on-line generated enrolment form by putting his / her signature.

(xxii) The VLE will upload scanned copy of signed enrolment-cum-debit mandate form and thereafter enable his/her online payment of initial contribution and give him a receipt.

(xxiii) At this stage, the online registration process would be complete and the system would generate a Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan (PM-KMY) Pension Card with a unique Pension Account Number prominently printed on it.

(xxiv) Upon completion of enrolment process and payment of initial contribution, an enrolment-cum-auto-debit-mandate form for taking consent of farmers for auto-debiting from their PM-Kisan benefits through their bank accounts will be generated and signed by the subscriber.

(xxv) CSC-SPV decentralised office would scan the signed enrolment-cum-auto-debit mandate form and upload the same to CSC-SPV system.

(xxvi) Subsequent to this a pension card would be generated and given to subscriber as proof of pension account having been opened.

(xxvii) The CSC-SPV centre would also return the original enrolment-cum-auto-debit mandate form to the subscriber to be retained by him.

(xxviii) The data of subscribers enrolled would be transferred by CSC-SPV to LIC on T+1 (i.e. the next day) for further process.

(xxix) The CSCs would charge Rs.30/- per beneficiary's enrolment for the above services. The DAC&FW would reimburse the above charge to CSC for which it would raise a consolidated invoice for the purpose on the Department.

(xxx) The eligible beneficiaries may alternatively also enrol themselves by contacting physically the State Nodal Officers (SNOs) (or agencies designated by them) in their respective districts.

(xxxi) The eligible beneficiaries may alternatively also enrol themselves online through links provided on the appropriate web-sites.

(xxxii) The DAC&FW will facilitate transfer of bulk data of beneficiaries from the SNOs to the CSC-SPV for the purpose of bulk enrolment of SMFs and also cross-verification of PM-Kisan beneficiaries registered at CSCs.

(xxxiii) A Subscriber, who desires to change the bank details or any other details which are incorrect, will approach CSC or VLE along with PM-KMY number, Aadhaar Card. However, the Date of Birth of the Subscriber cannot be changed at any time. The VLE at CSC will validate the credentials of the Member on the payment of the Amount / Fee as prescribed by the Government from time to time.

7. MANDATE REGISTRATION PROCESS

The procedure for giving consent by the eligible beneficiaries will be as follows:

(a) The prospective beneficiary will approach CSC for enrollment.

(b) The CSC-SPV will ensure customer related information is validated using customer bank passbook before completing the registration process. Basic details to be validated are:

- Customer name
- Customer account number
- IFSC/ MICR Code
- Mobile Number (optional)
- Other customer information as available in the passbook which is required for mandate registration

(c) The onus of recording the correct details of the customer and validation of customer will be on CSC-SPV. If there are any dispute at a later date by the

customer on the debits to his/her account, the onus of resolving the dispute as per Scheme guidelines will entirely rest with LIC.

(d) After successful registration, CSC-SPV/LIC will prepare data mandate as per the format provided by NPCI (to be shared).

(e) The data mandate will be shared with Sponsor Bank/IDBI.

(f) The Sponsor Bank/IDBI, on receiving the data, will upload it onto NPCI portal.

(g) The NPCI will generate inward to respective customer banks for processing the mandates.

(h) The customer banks will validate the account number only and accept if it is valid (name validation will not be carried out by the bank).

(i) If the account number is correct, the customer banks will register the mandate. If the account number is incorrect, frozen, blocked or cannot be debited for any other reason, the bank will reject the mandate with appropriate reason as per the reasons list provided by NPCI.

(j) The NPCI on receiving the acceptance/rejection reason from customer banks will generate response back to the Sponsor Bank of LIC i.e. the IDBI.

(k) The LIC will share the response data with CSC-SPV.

(l) The LIC will ensure that the transactions are generated only on the mandates that are confirmed by banks as valid. In case LIC generates a transaction on a mandate that has been rejected by the bank, such transactions will be rejected by NACH system at the time of upload itself. It is the responsibility of LIC to ensure that the response files received from the customer's bank are updated in their database and originate transactions on valid mandates only.

(m) At the time of transaction presentation by Sponsor Bank/IDBI, the NPCI will validate transaction data against the mandate data based on the Unique Mandate Reference Number (hereinafter referred to as UMRN) generated at the time of mandate registration. The destination banks may also validate the transaction data against the mandate data registered in their internal systems before allowing debit to the customer account.

(n) In the event of any dispute on the validity of the mandate or debit to an account, it will be the responsibility of LIC and the Government to handle the dispute and settle with the customer accordingly.

(o) The NPCI will provide the dispute management system to the banks concerned for raising disputes through the system. NPCI will follow up with Sponsor Bank/IDBI and the LIC for settlement of disputes as per the defined Turn Around Time (herein after referred as TAT). If the dispute is not settled within the agreed TAT, the Sponsor Bank's account will be debited to the extent of disputed transaction amount and credited to the dispute raising bank for crediting to the

customer account, as per the dispute management process detailed in NACH procedural guidelines.

8. Mechanism of regular contributions :

The procedure for payment of regular contributions by the subscribers will be as follows. A special mechanism has been set up whereunder based upon auto debit mandate taken from the subscriber at the time of enrolment:

(a) LIC would generate a debit file on every month / period. In this debit file, LIC would raise a demand of contributions due under the scheme from various subscribers through their bank account.

(b) The debit file would be sent to the Sponsor Bank / IDBI.

(c) The Sponsor Bank will send NACH debit file to every customer / subscriber's bank separately.

(d) The Customers' / Subscribers' Banks on receipt of NACH debit file from sponsor bank will debit the respective subscribers' bank account with the demanded amount and transfer the amount to sponsor bank in the prescribed manner.

(e) Based upon the MIS from sponsor bank, after proper reconciliations, the amount received from subscribers' bank to sponsor bank shall be credited to respective PM-KMY pension accounts of the subscribers.

(f) At the same time, SMS will go to the subscriber, whose mobile numbers are available, confirming the receipt of contribution in his pension account.

(g) Three payment cycles would be followed in a month i.e. 1^{st}, 11^{th} and 21^{st}. In case these dates are public holidays, payment cycle date would be the first working day after these dates.

(h) On a payment cycle day, LIC would generate a demand based upon contributions that have already fallen due. If payment is not successful, then demand would be repeated in the next cycle till six months from the contribution due date. On a payment cycle day, if more than one contribution are due, demand would be generated for all contributions that are in arrears along with late fee as per rules fixed by the Government from time to time.

9. PROVISIONS RELATING TO DEFAULT IN PAYING CONTRIBUTIONS

(a) It may so happen that subscriber's bank account may not have sufficient funds for auto-debit of contributions to be successful. When contribution auto-debit is not successful on payment cycle immediately following the contribution due date, the subscriber's account will be deemed to have defaulted or will be treated as an account in default.

(b) The demand would then be repeated in the next payment cycle.

(c) When a PM-KMY Pension Account is in default, the same may be regularized with payment of all contributions that have fallen due along with interest as follows :

(i) Until 1 month from first unpaid contribution: No late fee would be charged. Account can be regularized by paying contribution amount only. Three payment cycles demand would be raised for payment of contribution without any interest.

(ii) After one month from last unpaid contribution :

(1) Payments would be processed on specified payment cycle dates.

(2) No interest would be charged on the amount of contribution that became due immediately preceding the payment cycle date.

(3) However, if there are arrears of installments due on the due date immediately preceding the payment cycle date, late fee or at saving bank interest would be charged. Such late fee would be computed on each of the installment from due date of installment to the due date preceding the payment cycle date. If the period of default of a particular installment is up to 12 months, the reckoning of interest would be simple interest method. But if period of default of a particular installment is over 12 months, then compounding interest would be reckoned for completed number of years' part and for remaining period simple interest would be reckoned.

(4) The rate of interest/late fee would be the one that is prevailing on the date of payment cycle date, as declared by the Government from time to time.

(5) In case of dispute, the decision of LIC of India would be binding on subscriber.

(iii) The interest/late fee charged would be credited into pension account and shall be part of fund earnings under the scheme.

(iv) Interest is reckoned only from the date of remittance and credited on annual basis.

(v) Matching amount of co-contribution shall be credited by GOI which shall be maintained separately and this portion shall be utilized only for pension corpus on the vesting date.

(d) If contributions remain unpaid for a period of six months, such account status would be changed to 'dormant account' and for dormant accounts demand would not be raised further. Suitable SMS alerts / notices would, however, be sent for the dormant status accounts for a period of three years from date of first unpaid contribution. He/she will, however, be allowed to regularize his/her contribution by paying the entire outstanding dues, along with interest of the rate as determined by the Government from time to time.

(e) After lapse of period of three years from the date of last unpaid contribution, SMS alerts / notices would be stopped. However, Subscriber may make inquiries about status of his account through dedicated call centre or make on-line web inquires. He/she will, however, be allowed to regularize his/her contribution by paying the entire outstanding dues, along with interest of the rate as determined by the Government from time to time.

(f) If a beneficiary becomes ineligible for the Pension under PM-KMY, his account will be active but Government's contribution (50%) shall be stopped. If beneficiary agrees to pay the entire amount of the contribution, he will be allowed to operate the account. At the age of 60, he shall be allowed to withdraw his contribution with an interest equivalent to the prevailing saving bank rates.

10. COMMUTATION OF PENSION:

There is no provision for commutation of pension under any circumstances.

11. LIABILITY ON ACCOUNT OF DEFICIT IN FUND

The issue of liability on account of deficit in the fund maintained by LIC may be decided after due deliberations between Finance Ministry and LIC.

12. LEGAL RIGHTS TO SUBSCRIBERS:

A subscriber or his / her beneficiary of this Scheme shall have no interest in the Master Policy taken out in respect of the subscribers or any investment otherwise made by the Ministry in accordance with the guidelines of the Scheme, but shall only be entitled to receive a pension in accordance with these guidelines. Provided always that the

Government shall administer the Scheme for the benefit of the subscribers and their beneficiaries in accordance with the provisions of these guidelines.

13. RESTRAINT ON ANTICIPATION ENCUMBRANCE:

The benefits assured under the Scheme are strictly personal and cannot be assigned, charged or alienated in any way.

If any restraint or prohibitory order is served on the Government in respect of any benefit payable to a subscriber or his / her beneficiary or if the subscriber or the beneficiary shall become bankrupt or attempt to assign, charge or in any way encumber the pension or any benefit there under, he / she shall forfeit all rights and claim thereto and the same shall lapse to the Government but without prejudice to the powers of the Government at their discretion to maintain or continue the same, it they think fit, either immediately or after an interval or otherwise to make payments for the support of the subscriber. The value of any or all benefits forfeited shall be transferred to the 'Surplus Account'.

14. TO PREVAIL:

Should anything contained in these guidelines or in any alternation or amendment thereof be inconsistent with the object or provisions of the Scheme, the provisions of the Scheme as approved shall prevail. On any such discrepancy coming to the notice of the LIC, they shall recommend to the DAC&FW to take appropriate steps.

15. JURISDICTION:

The Master Policy to be effected under the Scheme shall be an Indian contract, subject to the laws of Indian including the Indian Insurance Act, 1938, as amended, the Life Insurance Corporation Act, 1956, the Income Tax, Act, 1961 and to any legislation subsequently introduced. All benefits under the Scheme shall be payable only in India. Should anything contained in these guidelines, or in any amendment made thereof be repugnant to any provisions of the Income Tax Act, 1961 or the Income Tax Rules, 1962, it shall be ineffective to the extent of such repugnance, any such repugnance in so far as it relates to Income Tax Act 1961 and the Rules there under shall be removed by the DAC&FW.

16. DEDUCTION OF SUMS DUE TO INCOME TAX AUTHORITIES:

Income Tax: In any case where the DAC&FW or the Corporation is liable to account to the Income Tax Authorities for Income Tax on any payments due under the Scheme, the Corporation shall deduct a sum equal to the tax from such payment and shall not be liable to the subscribers for the sum so deducted.

17. NOMINATION:

(a) Every Subscriber shall appoint spouse or dependants as Beneficiary or Beneficiaries under the Scheme to receive the benefits hereunder in the event of the death of the subscriber.

(b) Every appointment / nomination to be made under this Rule shall be in writing signed by the subscriber and shall remain in full force and effect until the death of the Beneficiary or until the same will be revoked in writing by the subscriber by whom the same was made and a fresh appointment / nomination is made in the manner aforesaid.

(c) A subscriber may from time to time or at any time without the consent of the nominee, if any, revoke or change the nominee by filling a written notice of the change online or at the CSC in the prescribed form whereupon an acknowledgement of the change and the registration of the name of the new Nominee will be given to the subscriber online / at the CSC. The New appointment shall take effect on the date the notice was signed whether or not the subscriber is living on the date of acknowledgement of the change without prejudice to the Corporation on account of any payment made before the acknowledgement of the change.

(d) If a Nominee shall at the time of his appointment be a minor or otherwise under disability to give a legal receipt or discharge to the LIC the subscriber must at the time of such appointment as aforesaid appoint a person who is major and who is capable of giving a legal receipt or discharge to the Corporation and to whom the benefits are to be paid for and on behalf of such Nominee so long as such minority or disability continues.

(e) If more than one Nominee is appointed and in such appointment the Subscriber has failed to specify their respective interest, the Nominees so named shall share equally. If any designated Nominee predeceases the Subscriber the interest of such Nominee shall terminate and his/her share shall be payable equally to such of the remaining Nominees as survive the Subscriber unless the Subscriber has made written request otherwise to the LIC in the prescribed form.

18. INTERPRETATION OF GUIDELINES:

It shall be a condition of the membership of the Scheme that on any question arising on any point of interpretation of these Guidelines or any point relating to cessation of membership, the decision of the DAC&FW shall be final.

19. COORDINATION AMONG VARIOUS PARTICIPATING AGENCIES

The DAC&FW has entered into detailed Memorandum of Understanding (MoUs) with various participating agencies for seamless implementation of the Scheme, namely, the LIC, the CSC-SPV, the NPCI, the IDBI and the IBA. These MoUs contained detailed roles and responsibilities of these agencies among themselves as well as towards smooth implementation of the Scheme. Further, the DAC&FW has also taken the key financial institutions / authorities, namely, the Department of Financial Services (DFS) under the Ministry of Finance, the Reserve Bank of India (RBI) and the Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI) on-board for successful operation of the Scheme.

20. REVIEW, MONITORING AND GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

a) An Empowered Committee under the Chairmanship of Cabinet Secretary with Secretaries of Agriculture & Farmers' Welfare, MeiTY, Department of Expenditure, Department of Financial Services and any other Secretary concerned as members shall review and monitor implementation of the Scheme through appropriate implementation strategies and to approve any modifications in the Scheme within the within the overall financial parameters of Scheme approved by the Cabinet, for effective implementation.

b) The overall implementation of the Scheme would be done by the Project Monitoring Unit (PMU) set up for PM-Kisan Scheme at Central level in the DAC&FW. The PMU shall also undertake publicity campaign (Information, Education and Communication-IEC) for the Scheme and also incur various administrative expenses.

c) Each State/UT Government will designate a Nodal Department for implementation of the scheme and coordinating with Central Government with regard to implementation of the Scheme.

d) A Grievance Redressal Cell shall be set up both at State and District Levels accordingly with representation of State Nodal Officers, State Level Bankers' Committee and Regional Manager, LIC. Similarly, District Levels shall have DLBC and LIC Representatives along with District level Government Officers.

e) All disputes to the extent of and limited to the transactions routed through National Automated Clearing House (NACH) system should be routed by the banks through the Dispute Management System (DMS) provided by NPCI. The disputes so

raised on the Sponsor Bank shall be resolved within 30 days from the date of dispute. If the Sponsor Bank fails to respond / resolve the dispute within agreed time line, the disputed amount will be debited to the settlement account of the Sponsor Bank maintained with Reserve Bank of India (RBI).

f) Any disputes other than that detailed above shall be resolved by LIC, Sponsor Bank and the Ministry without any liability on the other participating stakeholders. The process to be followed for dispute resolution is provided in the MoUs.

g) Any matter related to execution, grievance redressal, dispute resolution etc. shall be referred to the Joint Secretary (Farmers Welfare), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & farmers Welfare, Krishi Bhavan, New Delhi – 110001 for redressal.

******

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई)

प्रचालन संबंधी दिशानिर्देश

1. स्कीम

सरकार ने देश के सभी भूधारक लघु और सीमांत किसानों के लिए "प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई)", नामक वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है जो एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है और इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। यह स्कीम 9 अगस्त, 2019 से प्रभावी है।

2. उद्देश्य और लाभ

सरकार की ओर से किसानों के लिए आय और मूल्य समर्थन के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। तथापि**,** किसानों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच सृजित करने की जरूरत महसूस की गई है क्योंकि वृद्धावस्था में अधिकांश किसानों की आजीविका के साधन नहीं रह जाते। खेती-बाड़ी के लिए खेतों में कड़ी मेहनत करनी होती है जो उनकी उम्र की इस अवस्था में कठिन होता है। यह समस्या लघु और सीमांत किसानों के लिए और भी बड़ी होती है क्योंकि उनके पास बुढ़ापे में बेहद मामूली या शून्य बचत होती है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) के अंतर्गत सभी भूधारक लघु और सीमांत किसानों पुरूष और स्त्री दोनों के लिए **60** वर्ष की आयु प्राप्त करने पर **3000** रूपए की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है। तथापि**,** अपवर्जन मानदंड के दायरे में आने वाले कृषक (इन दिशानिर्देशों के पैरा **5** में यथा परिभाषित) इस लाभ के लिए पात्र नहीं हैं। स्कीम की मुख्य विशेषताएं और इसके अभिदाताओं को मिलने वाले अन्य परिणामी लाभों के ब्यौरे आगे इन दिशानिर्देशों में दिए गए हैं।

3. परिभाषाएँ:

क. **"लाभग्राही"** का अर्थ अभिदाता और उसकी मृत्यु की स्थिति में उसका/उसकी पति/पत्नी होगा;

ख. **"अभिदान"** का अर्थ सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित उस स्कीम के साथ उपाबद्ध अभिदान चार्ट में योजना के पात्र अभिदाता द्वारा मासिक रूप से अथवा आवधिक रूप से संदेय निर्धारित धनराशि है;

ग. **"सीएससी"** का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा प्रचारित कंपनी "सामान्य सेवा केन्द्र ई-अभिशासन सेवा भारत लिमिटेड-विशेष प्रयोजन वाहन" है।

घ. स्कीम के संबंध में "प्रभावी तारीख" का अर्थ वह तारीख है जब यह स्कीम प्रभावी/प्रारंभ होती है अर्थात् 9 अगस्त, 2019;

ङ. "**पंजीयन एजेंसी"** या "पंजीकरण एजेंसी" का अर्थ अभिदाताओं का पंजीकरण करनेके लिए सरकार द्वारा चुनी गई एजेंसी है। वर्तमान में सीएससी-एसपीवी और राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) या उनके द्वारा चुनी गई/नामित एजेंसी पंजियन एजेंसी है।

च. **"प्रवेश की तारीख"** का अर्थ

(क) मूल अभिदाताओं के संबंध में प्रभावी तारीख; और

(ख) प्रभावी तिथि के बाद स्कीम में शामिल किए गए नए अभिदाताओं के संबंध में उनकी ज्वाइनिंग तारीख है।

छ. **"पात्र अभिदाता**" का अर्थ वह लघु और सीमांत किसान है जो उस स्कीम में शामिल किए जाने के लिए पात्र है।

ज. **"परिवार**" का अर्थ —

(i) पात्र पुरूष अभिदाता के मामले में पत्नी है;

(ii) पात्र स्त्री अभिदाता के मामले में पति है;

झ. **"सरकार" या "केंद्रीय सरकार"** या **"मंत्रालय" या "विभाग"** का अर्थ है "कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से भारत सरकार" है;

ञ. **"एलआईसी" या "निगम"** का अर्थ "जीवन बीमा निगम", अधिनियम, 1956 के द्वारा स्थापित एक सांविधिक निगम "जीवन बीमा निगम" है;

ट. **"मैचिंग योगदान"** का अर्थ पात्र अभिदाता द्वारा योगदान की गई समतुल्य धनराशि, केंद्रीय सरकार द्वारा निधि को संदेय है;

ठ. **"सामान्य सेवानिवृत्ति तारीख"** या "निहित तारीख" का अर्थ प्रत्येक अभिदाता के संबंध में वह तारीख होगी जब वह 60 साल की आयु पूरा करता/करती है;

ड. "पेंशन" का अर्थ पात्र अभिदाता या उसके/उसकी पति/पत्नी को इस स्कीम के तहत पेंशन के रूप में संदेय सुनिश्चित मासिक धनराशि है;

ढ. **"पेंशन निधि" या "निधि"** का अर्थ केंद्रीय सरकार द्वारा सृजित और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियंत्रित वह निधि है जिसमें अभिदाताओं ने अभिदान किया और सरकार द्वारा मैचिंग योगदान जमा किया गया है। सरकारी पूल खाता (यहां इसके बाद **"एसआईए"** के रूप में संदर्भित) के साथ ग्राहक के व्यक्तिगत खाता को मिलाकर पूल करेगी और वह इस स्कीम के तहत पेंशन निधि का रूप लेगी।

ण. **"प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम"** या "पीएम-किसान" का अर्थ किसानों को सीधे आय सहायता प्रदान करने के लिए डीएसीएंडएफडब्ल्यू द्वारा संचालित केंद्रीय क्षेत्र स्कीम है।

त. **"लघु और सीमांत किसान"** या "एसएमएफ" का अर्थ वह किसान है जिसके स्वामित्व में संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भू अभिलेख के अनुसार 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है।

थ. **"प्रायोजक बैंक"** का अर्थ निगम द्वारा इस स्कीम के तहत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए नामित बैंक जो वर्तमान में आईडीबीआई है।

द. **"राज्य नोडल अधिकारी"** या "एसएनओ" का अर्थ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान स्कीम) के तहत एसएमएफ सहित किसानों की सूची तैयार करने के लिए जिम्मेदार राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के अधिकारी हैं।

ध. **"अभिदाता"** का अर्थ इस स्कीम में शामिल होने वाले लघु और सीमांत किसान और उसकी मृत्यु की स्थिति में उसका/उसकी पति/पत्नी है;

4. <u>पात्रता</u>

देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी लघु और सीमांत किसान जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है और जो उल्लिखित दिशानिर्देश में यथा उल्लिखित अपवर्जन मानदंड के दायरे में नहीं आते, इस योजना में शामिल होकर इसका लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

5. <u>अपवर्जन</u>

5.1 निम्नलिखित श्रेणियों के किसानों को अपवर्जन मानदंडों के तहत रखा गया है:

(i) राष्ट्रीय पेंशन स्कीम,कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम, कर्मचारी निधि संगठन स्कीम आदि जैसी किसी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान।

(ii) वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (पीएम-एसवाईएम) के लिए विकल्प चुना है।

(iii) वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधान मंत्री लघु व्यपारी मान-धन योजना (पीएम-एलवीएम) के लिए विकल्प चुना है।

(iv) इसके अतिरिक्त, उच्चतर आर्थिक स्थिति वाले निम्नलिखित श्रेणियों के लाभग्राही भी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे:-

(क) सभी संस्थागत भू-धारक और

(ख) भूतपूर्व और वर्तमान संवैघानिक पद धारक

(ग) भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और भूतपूर्व और वर्तमान लोकसभा/राज्यसभा/ राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के सदस्य और भूतपूर्व और वर्तमान नगर निगमों के मेयर, भूतपूर्व और वर्तमान जिला पंचायतों के अध्यक्ष।

(घ) केंद्रीय/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी क्षेत्र यूनिटों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और संबद्ध कार्यालयों/सरकार के अधीन स्वायतशासी संस्थाओं के सभी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी और साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (जिनमेंबहु कृत्यिक कर्मचारी/चतुर्थ श्रेणीसमूह 'घ' कर्मचारी शामिल नहीं हैं)

(ड) वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आय कर का भुगतान किया।

(घ) डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेट्स और वास्तुकार जैसे पेशेवर जो पेशेवर निकायों में पंजीकृत हैं और निजी प्रैक्टिस के द्वारा अपना पेशा चला रहे हैं।

5.2 अपवर्जन के प्रयोजन के लिए राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकार लाभार्थी द्वारा स्वत: घोषणा किए जाने के आधार पर लाभार्थी की पात्रता को प्रमाणित कर सकते हैं। यदि लाभग्राही

उपलब्ध नहीं है/ गांव में नहीं रहता है तो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार उसके परिवार के अन्य प्रौढ़ सदस्य की घोषणा के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने पर विचार कर सकती है। असत्य स्वत: घोषणा के मामले लाभग्राही स्कीम के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

6. स्कीम की मुख्य -मुख्य विशेषताएं

i. पीएम-केएमवाई एक केंद्रीय स्कीम है। इसका संचालन कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एनआईसी) की भागीदारी से किया जाएगा।

ii. एलआईसी पेंशन निधि प्रबंधक होगी और पेंशन का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी।

iii. यह उपर्युक्त अपवर्जन मानदंडों के अध्यधीन पूरे देश के सभी भू-धारक लघु और सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक और आवधिक योगदान आधारित पेंशन प्रणाली है।

iv. लघु और सीमांत किसानों के पास सीधे पीएम-किसान से प्राप्त वित्तीय लाभ से स्कीम में अपने स्वैच्छिक योगदान का भुगतान करने की अनुमति देने का विकल्प होगा।

v. जो पात्र लघु और सीमांत किसान पीएम-केएमवाई के लिए योगदान देने के लिए पीएम-किसान लाभ का उपयोग करने के इच्छुक हैं, को अपने बैंक खातों से ऑटो-डेबिट हेतु सहमति देने के लिए नामांकन सह-ऑटो-डेबिट मैण्डेट फार्म पर हस्ताक्षर करके जमा करेंगे ताकि उनके अंशदान का स्वत: ही भुगतान हो सके।

vi. पात्र लघु और सीमांत किसान, जो पीएम-किसान के लाभार्थी नहीं हैं अथवा जिन्होंने पीएम-किसान के लाभ से भुगतान की अनुमति हेतु अपनी सहमति नहीं दी है, एक पंजीयक-सह - स्वत: डेबिट मैण्डेट फार्म प्रस्तुत करके उन बैंक खातों से आटो डेबिट हेतु अपनी सहमति देंगे, जिसका सामान्य तौर पर वे बैंक लेने-देने में उपयोग करते हैं।

vii. केंद्रीय सरकार भी कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के माध्यम से पात्र अभिदाता द्वारा अभिदान की गई धनराशि के बराबर धनराशि का निधि में योगदान करेगी। ऐसे सह-अभिदाताओं का खाता एलआईसी द्वारा पृथक रूप से अनुरक्षित किया जाएगा । इन सह-अभिदानों को समय-समय पर अर्जित निधि के साथ- निहित तारीख को पेंशन भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा। यदि अभिदाता निहित समय से पहले स्कीम को छोड़ता है तो उन्हें इस सह-अभिदान का भुगतान नहीं किया जाएगा । ऐसी स्थिति में उपार्जित निधि के साथ सहअभिदान को पेंशन निधि में वापस अंतरित कर दिया जाएगा।

viii. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के पास किसी विशिष्ट एसएमएफ लाभग्राही के अभिदान का भार शेयर करने का विकल्प होगा।

ix. मासिक अभिदान प्रत्येक महीने उसी तारीख को देय होगा जिस तारीख को पंजीयन किया गया। लाभग्राही अपना अभिदान तिमाही, चार-माही या छमाही आधार पर भुगतान करने का भी विकल्प चुन सकता है। ऐसा अभिदान उस अवधि की उसी तारीख को देय होगा जिस तारीख को पंजीयन किया गया।

x. मासिक अंशदान की राशि निम्नलिखित अंशदान चार्ट के अनुसार योजना में किसानों के प्रविष्टि की आयु के आधार पर 55 रुपये से 200 प्रति माह तक हो सकती है:

प्रविष्टि आयु	**अधिवर्षिता आयु**	**सदस्य का योगदान (रुपये)**	**सरकार का योगदान (रुपये)**	**कुल योगदान (रुपये)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
18	60	55	55	110
19	60	58	58	116
20	60	61	61	122
21	60	64	64	128
22	60	68	68	136
23	60	72	72	144
24	60	76	76	152
25	60	80	80	160
26	60	85	85	170
27	60	90	90	180
28	60	95	95	190
29	60	100	100	200
30	60	105	105	210
31	60	110	110	220
32	60	120	120	240
33	60	130	130	260
34	60	140	140	280
35	60	150	150	300
36	60	160	160	320
37	60	170	170	340
38	60	180	180	360
39	60	190	190	380
40	60	200	200	400

xi. निहित तिथि से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में, ग्राहक के जीवनसाथी के पास योजना के तहत शेष योगदान के भुगतान के द्वारा योजना को जारी रखने का विकल्प होगा, बशर्ते कि वह पहले से ही योजना का एसएमएफ लाभार्थी नहीं हो। योगदान की दर और निहित तिथि समान रहेगी। पेंशन की राशि की गणना इस तरह की जाएगी जैसे कि ग्राहक निहित तिथि तक जीवित हो। हालाँकि, वही पेंशन जीवनसाथी को देय होगी। निहित तिथि के बाद जीवनसाथी की मृत्यु होने पर, पेंशन राशि को वापस पेंशन कोष में स्थानांतरित किया जाएगा।

xii. निहित तिथि से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में, यदि जीवनसाथी योजना के तहत जारी रखने के विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं, तो अर्जित ब्याज राशि या बचत बैंक ब्याज के साथ जो भी अधिक है, योजना के तहत देय होगा।

xiii. निहित तिथि से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में, अगर कोई पति या पत्नी नहीं है, तो ग्राहकों का योगदान अर्जित ब्याज राशि या बचत बैंक ब्याज के साथ ग्राहकों का योगदान जो भी अधिक है, योजना के तहत नामित को देय होगा। बचत बैंक ब्याज और देय ब्याज के बीच अंतर के समायोजन के बाद अर्जित ब्याज निधि के साथ सरकार द्वारा किए गए सह-योगदान, यदि कोई हो, को सरकार की पेंशन निधि में वापस जमा किया जाएगा।

xiv. यदि किसी ग्राहक की निहित तिथि के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी पात्र पेंशन का पचास प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते कि वह पहले से ही इस योजना का एसएमएफ लाभार्थी न हो, और ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पति/ पत्नी के लिए लागू होगी।

xv. ग्राहक की मृत्यु के साथ-साथ उसके जीवनसाथी की मृत्यु के बाद, कुल राशि अर्थात ग्राहक और सरकार द्वारा किए गए कुल जमा योगदान को वापस कोष में जमा किया जाएगा।

xvi. इस योजना में शामिल होने के इच्छुक योग्य एसएमएफ अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक या खाता विवरण के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जा सकते हैं।

xvii. सीएससी में उपस्थित ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) आधार संख्या, नाम, जन्मतिथि, जीवनसाथी और नामांकित व्यक्ति, मोबाइल नंबर (वैकल्पिक), पता और कुछ अन्य विवरण लेने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करेगा।

xviii. ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में बैंक खाते के विवरण को प्राप्त करने और प्रत्येक माह ग्राहक के बैंक खाते में अंशदान राशि जमा करने के लिए ग्राहक के बैंक खाते में एक ऑटो-डेबिट मेंडेट को पूरा करना शामिल है। भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से प्रायोजक बैंक/आईडीबीआई द्वारा यह मांग की जाएगी।

xix. सीएससी द्वारा समर्थित दस्तावेजों, आधार की जनसांख्यिकीय प्रमाणिकता आदि से बैंक विवरणों का मैनुअल सत्यापन के माध्यम से डेटा की जांच की जाएगी।

xx. ग्राहक द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर (वैकल्पिक) ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

xxi. ग्राहक अपने हस्ताक्षर द्वारा ऑनलाइन सृजित किए गए नामांकन फॉर्म में डेटा को प्रमाणित करेगा।

xxii. वीएलई हस्ताक्षरित नामांकन-सह-डेबिट मेंनडेट फॉर्म की स्कैन कॉपी अपलोड करेगा और उसके बाद प्रारंभिक योगदान का ऑनलाइन भुगतान करेगा और उसे एक रसीद देगा।

xxiii. इस स्तर पर, ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सिस्टम एक यूनिक पेंशन खाता संख्या के साथ पीएम-किसान मान-धन पेंशन कार्ड प्रिंट करेगा।

xxiv. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और प्रारंभिक योगदान के भुगतान के बाद, किसानों के पीएम-किसान लाभ को अपने बैंक खातों से ऑटो-डेबिट करने के लिए किसानों की सहमति लेने के लिए एक नामांकन-सह-ऑटो-डेबिट-मेंनडेट फॉर्म सृजित करेगा और उस पर ग्राहक के हस्ताक्षर लिए जाएंगे।

XXV. सीएससी-एसपीवी विकेन्द्रीकृत कार्यालय हस्ताक्षरित पंजीकरण सह स्व-चालित डेबिट मेंडेट फार्म का स्कैन करेगा और उसे सीएससी-एसपीवी सिस्टम पर अपलोड करेगा।

xxvi. इसके परिणामस्वरूप एक पेंशन कार्ड तैयार किया जाएगा और ग्राहक, जिनके अकाउंट खोले गए हैं, उन्हें पेंशन अकाउंट के प्रमाण स्वरूप दिया जाएगा।

xxvii. सीएससी-एसपीवी केन्द्र मूल पंजीकरण सह-स्वचालित डेबिट मेंडेट फार्म ग्राहक को अपने पास रखने के लिए वापस भी करेगा।

xxviii. पंजीकृत ग्राहकों के आंकड़े को सीएसी-एसपीवी द्वारा एलआईसी को टी+1 (अर्थात अगले दिन) को आगे की कार्रवाई के लिए अंतरण किया जाएगा।

xxix. सीएससी उपरोक्त सेवाओं के लिए प्रत्येक पंजीकृत लाभार्थियों से 30 रूपए लेगा। डीएसीएंडएफडब्ल्यू सीएससी को उपरोक्त प्रभार की प्रतिपूर्ति करेगा जिससे यह विभाग के प्रयोजनार्थ संचित बीजक तैयार करेगा।

xxx. पात्र लाभार्थी अपने संबंधित जिलों में प्रत्यक्ष रूप से राज्य नोडल अधिकारियों (एसएनओ) (अथवा उनके द्वारा अभिनामित एजेंसियों) से संपर्क कर विकल्प के तौर पर अपना पंजीकरण भी करा सकते हैं।

xxxi. पात्र लाभार्थी उपयुक्त वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से विकल्प के तौर पर अपना पंजीकरण ऑनलाइन भी करा सकते हैं।

xxxii. डीएसीएंडएफडब्ल्यू एसएमएफ के थोक पंजीकरण के प्रयोजनार्थ तथा सीएससी पर पंजीकृत पीएम-किसान लाभार्थियों के पार प्रमाणन करने के लिए भी एसएनओ से सीएससी-एसपीवी को लाभार्थियों के थोक आंकड़े का अंतरण करने की सुविधा प्रदान करेगा।

xxxiii. जो ग्राहक बैंक विवरण अथवा अन्य कोई विवरण, जो गलत हो, में परिवर्तन कराने के इच्छुक हैं वे पीएम-केएमवाई संख्या, आधार कार्ड के साथ सीएससी या वीएलई से संपर्क करेंगे। तथापि ग्राहक की जन्म तिथि कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती है। सीएससी के वीएलए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए रकम/शुल्क का भुगतान किए जाने पर सदस्य के पहचान का विधिमान्यकरण करेंगे।

7. मेंडेट पंजीकरण प्रक्रिया

पात्र लाभार्थियों द्वारा सहमति देने की प्रक्रिया निम्नवत होगी:

क. प्रत्याशित लाभार्थी पंजीकरण कराने के लिए सीएसी से संपर्क करेंगे।

ख. सीएससी-एसपीवी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने से पहले ग्राहक बैंक पासबुक का उपयोग कर ग्राहक संबंधी सूचना का विधिमान्यकरण करेगा। मूल विवरण जिन्हें विधिमान्यकरण किया जाना है:

- ग्राहक का नाम
- ग्राहक खाता संख्या
- आईएफएससी/एमआईसीआर कोड़
- मोबाइल नंबर (ऐच्छिक)
- पासबुक में उपलब्ध ग्राहक की अन्य सूचना जो मेंडेट के लिए अपेक्षित है।

ग. ग्राहक के सही विवरण को रिकॉर्ड करने तथा ग्राहक की पुष्टि करने की जिम्मेदारी सीएससी-एसपीवी की होगी। यदि बाद में ग्राहक द्वारा अपने खातों से डेबिट संबंधी कोई विवाद हो तो स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार विवादों का समाधान करने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से एलआईसी की होगी।

घ. पंजीकरण सफल होने के पश्चात, सीएससी-एसपीवी/एलआईसी एनपीसीआई (साझा किए जाने वाले) द्वारा प्रदत्त प्रारूप के अनुसार डाटा मेंडेट तैयार करेगा।

ङ. डेटा मेंडेट को प्रायोजक बैंक/आईडीबीआई के साथ साझा किया जाएगा।

च. आंकड़ा प्राप्त होने के पश्चात प्रायोजक बैंक/आईडीबीआई एनसीसीआई पोर्टल पर इसे अपलोड करेगा।

छ. एनपीसीआई मेंडेट का प्रसंस्करण करने के लिए संबंधित बैंकों के लिए इन्वार्ड तैयार करेगा।

ज. ग्राहक का बैंक केवल अकाउंट नंबर की पुष्टि करेगा और मान्य (बैंक द्वारा नाम की पुष्टी नहीं की जाएगी) होने पर इसे स्वीकार करेगा।

झ. यदि खाता संख्या सही है तब ग्राहक का बैंक मेंडेट का पंजीकरण करेगा। यदि खाता संख्या गलत, फ्रोजन, ब्लॉक्ड अथवा किसी अन्य कारण से डेबिट नहीं किया जा सकता है तो बैंक एनपीसीआई द्वारा प्रदत्त कारणों की सूची के अनुसार उपयुक्त कारण के साथ निरस्त करेगा।

ञ. ग्राहक के बैंक से स्वीकृति/निरस्त के कारण प्राप्त होने के पश्चात एनपीसीआई एलआईसी के प्रायोजक बैंक अर्थात आईडीबीआई को वापस अनुक्रिया भेजेगा।

ट. एलआईसी सीएससी-एसपीवी के साथ अनुक्रिया आंकड़ा साझा करेगा।

ठ. एलआईसी यह सुनिश्चित करेगा की लेन-देन केवल मेंडेट के अनुसार तैयार किया गया है जिसे बैंक द्वारा मान्य होना पुष्टि किया जाता है। यदि एलआईसी बैंक द्वारा निरस्त किए गए मेंडेट पर लेन-देन तैयार करता है तब एनएसीएच प्रणाली द्वारा इसे अपलोड करते समय ऐसे लेन-देन को निरस्त कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करना एलआईसी की जिम्मेदारी होगी कि ग्राहक के बैंक से प्राप्त अनुक्रिया फाइल को उनके डेटा बेस में अद्यतन किया गया है और केवल मान्य मेंडेट पर लेन-देन शुरू करना है।

ड. प्रायोजक बैंक/आईडीबीआई द्वारा लेन-देन की प्रस्तुतिकरण के समय एनपीसीआई मेंडेट पंजीकरण के समय सृजित यूनिक मेंडेट संदर्भ संख्या (इसके पश्चात यूएमआरएन संदर्भित होगा) के आधार पर मेंडेट आंकड़ों की तुलना में लेन-देन आंकड़ों का विधिमान्यकरण करेगा।

ढ. संबंधित बैंक भी ग्राहक के खातों से डेबिट की अनुमति देने से पूर्व अपने आंतरिक सिस्टम में पंजीकृत मेंडेट आंकड़ों की तुलना में लेन-देन के आंकड़ों को विधिमान्यकरण कर सकता है।

ण. मैंडेट के वैधता तथा अकाउंट से डेबिट संबंधी किसी विवाद की स्थिति में विवाद का समाधान करने की जिम्मेदारी एलआईसी तथा भारत सरकार की होगी ।

त. एनपीसीआई सिस्टम के माध्यम से विवादों को उठाने के लिए संबंधित बैंकों को विवाद प्रबंधन सिस्टम प्रदान करेगा। एनपीसीआई प्रायोजक बैंक/आईडीबीआई तथा एलआईसी के साथ निर्धारित टर्न अराउंड समय (जिसे इसके पश्चात टैट संदर्भित किया जाएगा) के अनुसार विवादों का समाधान करेगा। यदि विवाद सहमत हुए टर्न अराउंड समय के भीतर नहीं समाधान किया जाता है तब प्रायोजक बैंक खातों से विवादित लेन-देन रकम की मात्रा डेबिट हो जाएगी और एनएसीएच की प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों में दी गई विवाद प्रबंधन प्रक्रिया के अनुसार ग्राहक के खातों में क्रेडिट करने के लिए विवाद उठाने वाले बैंक को क्रेडिट कर दिया जाएगा।

8. नियमित अंशदानों का तंत्र

ग्राहकों द्वारा नियमित अंशदानों के भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। एक विशेष तंत्र स्थापित किया गया है जिसके आधार पर नामांकन के समय ग्राहक से ऑटो-डेबिट मेनडेट लिए जाते हैं:

(क) एलआईसी प्रत्येक माह/अवधि में एक डेबिट फाईल सृजित करेगी। इस डेबिट फाईल में एलआईसी विभिन्न ग्राहक से उनके बैंक खाते के माध्यम से स्कीम के तहत देय अंशदान की मांग करेगी।

(ख) डेबिट फाईल प्रायोजक बैंक/आईडीबीआई को भेजी जाएगी।

(ग) प्रायोजक बैंक प्रत्येक ग्राहक/सब्सक्राइबर से बैंक में अलग से एनएसीएच डेबिट फाईल भेजेंगे।

(घ) प्रायोजक बैंक ग्राहक/सब्सक्राइबर के बैंक एनएसीएच डेबिट फाईल की प्राप्ति होने पर मांगी गई राशि के साथ संबंधित सब्सक्राइबर के खाते से पैसे की निकासी करेंगे तथा निर्धारित तरीके से प्रायोजक बैंक को राशि अंतरित करेंगे।

(ड.) प्रायोजक बैंक से एमआईएस के आधार पर, उचित समायोजन के पश्चात सब्सक्राइबर के बैंक से प्राप्त राशि को सब्सक्राइबर के संबंधित पीएम-केएमवाई पेंशन खाते में जमा करा दिया जाएगा।

(च) इसी समय उपलब्ध मोबाईल नंबर पर सब्सक्राइबर को एक एसएमएस भेजा जाएगा जिससे इसकी पेंशन राशि में अंशदान की प्राप्ति की पुष्टि की जाएगी।

(छ) एक माह में तीन भुगतान चक्र अर्थात पहली, 11वी एवं 21वी तारीख को होगा। यदि ये तारीख सार्वजनिक अवकाश की तिथि होती है तो भुगतान चक्र की तारीख इन तारीखों के बाद आने वाले प्रथम कार्य दिवस की होगी।

(ज) भुगतान चक्र के दिन, एलआईसी अंशदानों के आधार पर एक मांग सृजित करेगी जो पहले से ही देय है। यदि भुगतान सफल नही होता है, तब यह मांग देय अंशदान तिथि से 6 माह तक अगले चरण में दोहराई जाएगी। भुगतान चक्र दिवस पर यदि एक अंशदान से अधिक का अंशदान देय है, यह मांग सभी अंशदानों के लिए सृजित की जाएगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लेट फीस के साथ-साथ बकाया के रूप में होगी।

<u>9. भुगतान अंशदान में चूक के लिए प्रावधान</u>

(क) ऐसा भी हो सकता है कि सब्सक्राइबर के बैंक खाते में अंशदान के सफलतापूर्वक ऑटो-डेबिट करने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध न हो। यदि आगामी अंशदान देय तिथि में ऑटो-डेबिट अंशदान सफल नही होता है। तब सब्सक्राइबर के खाते को डिफॉलटेड माना जाएगा अथवा उसके खाते को चूककर्ता का खाता माना जाएगा।

(ख) तब इस मांग को अगले भुगतान चक्र में दोहराया जाएगा।

(ग) जब एक पीएम-केएमवाई पेंशन खाता चूक वाला खाता हो तो इसे सभी अंशदानों के भुगतान के लिए नियमित किया जाएगा जो निम्नानुसार ब्याज के साथ-साथ देय है:

(i) अंशदान का भुगतान न किए जाने से पहले माह तक: कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी। यह खाता केवल अंशदान राशि का भुगतान करके ही नियमित किया जा सकता है। तीन भुगतान चक्र की मांग को बिना किसी ब्याज सहित अंशदान के भुगतान के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

(ii) पिछले भुगतान न किए गए अंशदान से एक माह के बाद:

(1) भुगतान विशिष्ट भुगतान चक्र की तारीख पर किया जाएगा।

(2) उन अंशदान की राशि पर कोई ब्याज नही लिया जाएगा जो भुगतान चक्र की तारीख के तुरंत बाद ही देय हो गए है।

(3) तथापि, यदि भुगतान चक्र की तारीख के तुरंत बाद ही देय तारीख पर देय किस्तों को बकाया होता है तब लेट फीस अथवा बचत बैंक ब्याज लिया जाएगा। इस लेट फीस की गणना प्रत्येक किस्तों पर किस्त की देय तिथि से भुगतान चक्र तिथि वाली देय तारीख के आधार पर की जाएगी। यदि विशेष किस्त की चूक की अवधि 12 माह तक की है तब इस ब्याज की गणना साधारण ब्याज विधि से की जाएगी। लेकिन यदि विशेष किस्त की चूक की अवधि 12 माह से अधिक है तब वर्ष की संख्या के आधार पर चक्रवर्ती ब्याज लगाया जाएगा तथा शेष अवधि के लिए साधारण ब्याज लगाया जाएगा।

(4) ब्याज/लेट फीस की दर ऐसी होगी जो कि भुगतान चक्र तिथि की तारीख से लागू होगी, जो कि समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित की जाएगी।

(5) विवाद के मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम का निर्णय ग्राहक पर बाध्यकारी होगा।

(iii) ली गई ब्याज/लेट फीस पेंशन खाते में जमा कर दी जाएगी तथा इस स्कीम के तहत जमा की गई निधि का हिस्सा होगी।

(iv) ब्याज की गणना भेजी गई रकम की तारीख से की जाएगी तथा वार्षिक आधार पर इसे जमा किया जाएगा।

(v) सह-अंशदान की मिलान राशि को भारत सरकार द्वारा जमा कराया जाएगा जिसका अनुरक्षण अलग से किया जाएगा और यह अंशदान के इस हिस्से का उपयोग निहित तिथि पर केवल पेंशन कॉर्पस के लिए किया जाएगा।

(घ) यदि छह महीने की अवधि तक अंशदान का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसे खाते की स्थिति को 'निष्क्रिय खाता' में परिवर्तित कर दिया जाएगा और निष्क्रिय खाते के लिए मांग को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तथापि, पहली बार भुगतान न किए गए अंशदान की तिथि से 3 वर्षों की अवधि तक निष्क्रिय स्थिति वाले खातों के लिए उपयुक्त संख्या में एसएमएस अलर्ट/नोटिस भेजे जाएंगे। तथापि, उस व्यक्ति/महिला को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर सहित संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके उनके अंशदान को नियमित बनाये जाने की अनुमति दी जाएगी।

(ड.) भुगतान न किए गए अंतिम अंशदान की तिथि से 3 वर्षों की अवधि की समाप्ति होने के बाद एसएमएस अलर्ट/नोटिस भेजना बंद कर दिया जाएगा। हालांकि, ग्राहक समर्पित कॉल सेंटर या

ऑन-लाइन वेब पूछताछ के माध्यम से अपने खाते की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, उस व्यक्ति/महिला को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर सहित संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके उनके अंशदान को नियमित बनाये जाने की अनुमति दी जाएगी।

(च) यदि कोई लाभार्थी पीएम-केएमवाई के तहत पेंशन के लिए अयोग्य हो जाता है, तो उसका खाता सक्रिय रहेगा लेकिन सरकार का अंशदान (50%) रोक दिया जाएगा। यदि लाभार्थी अंशदान की पूरी राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है तो उसे खाते को प्रचालित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। 60 वर्ष की आयु तक उसे बचत की बैंक प्रचलित दर की समकक्ष ब्याज सहित अपने अंशदान को निकालने की अनुमति होगी।

10. पेंशन का रूपांतरण (कॉम्यूटेशन):

किसी भी परिस्थिति में पेंशन के रूपांतरण (कॉम्यूटेशन) का कोई प्रावधान नहीं है।

11. निधि में कमी के कारण देयता

एलआईसी द्वारा अनुरक्षित कोष में कमी के कारण देयता के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय और एलआईसी के बीच विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया जा सकता है।

12. ग्राहक के कानूनी अधिकार:

यदि इस योजना के ग्राहक या उसके लाभार्थी की इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय द्वारा ग्राहकों या किसी अन्यथा निवेश के संबंध में तैयार की गई मास्टर पॉलिसी में रूचि नहीं होगी तो वह इन दिशानिर्देशों के अनुसार केवल पेंशन पाने के लिए हकदार होगा। बशर्ते कि सरकार इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ग्राहकों और उनके लाभार्थियों के हित के लिए हमेशा इस योजना का प्रबंधन करेगी।

13. प्रत्याशित ऋण भार पर अंकुश:

इस योजना के तहत आश्वासित लाभ सख्त रूप से वैयक्तिक है और किसी भी स्थिति में इन्हें किसी और को सौंपा, आरोपित या अलग नहीं किया जा सकता है।

यदि ग्राहक या उसके लाभार्थी को भुगतान योग्य किसी लाभ के संबंध में सरकार का कोई अवरोधक या निषेधात्मक आदेश जारी किया जाता है या यदि ग्राहक या लाभार्थी दिवालिया हो जाता है या इसके तहत पेंशन या किसी लाभ के ऋण भार या सौंपने, वसूलने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति/महिला के सभी अधिकारों और दावों को पाने के उसके अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और इसे बनाए रखने या जारी रखने के उनके विवेक के आधार पर सरकार इन शक्तियों में पक्षपात के बिना यदि वे योग्य समझते हैं तो वे या तो तत्काल या फिर कुछ समय बाद या फिर ग्राहक को सहायता देने के लिए अन्य प्रकार का भुगतान करेंगे। ऐसे किसी या सभी जब्त लाभों को 'अधिशेष खाते' में अंतरित किया जाएगा।

14. प्रचलित मंतव्य:

यदि इन दिशानिर्देशों में निहित या इसके किसी परिवर्तन या संशोधन में कोई बात इस योजना के उद्देश्य या प्रावधानों के साथ असंगत है, तब इस योजना के यथा अनुमोदित प्रावधान प्रचलित रहेंगे। एलआईसी के संज्ञान में आने वाली ऐसी किसी भी विसंगति पर, वे उचित कदम उठाने के लिए डीएसी एंड एफडब्ल्यू से सिफारिश करेंगे।

15. क्षेत्राधिकार:

इस योजना के तहत प्रभावी मास्टर पॉलिसी एक भारतीय संविदा होगी जो भारतीय बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, आयकर, अधिनियम, 1961 और इसके बाद इस प्रकार के किसी शुरू किए गए विधान के रूप में संशोधित कानून के साथ-साथ भारतीय कानून के अध्याधीन है। इस योजना के तहत सभी लाभ केवल भारत में ही भुगतान योग्य होंगे। यदि इन दिशानिर्देशों में निहित या उसमें किया गया कोई संशोधन आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर नियमावली, 1962 के किसी प्रावधान के प्रतिकूल होगा, तब ऐसी प्रतिकूल स्थिति की हद तक यह अप्रभावी होगा, अब तक इस तरह की कोई भी प्रतिकूल स्थिति जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 और इसके तहत नियमावली से संबंधित है, को डीएसीएंड एफडब्ल्यू द्वारा हटा दिया जाएगा।

16. <u>आयकर प्राधिकारियों को देय धनराशि में कटौती</u>

आयकर: किसी भी मामले में जहां कहीं डीएसीएंडएफडब्ल्यू अथवा निगम स्कीम के तहत किसी देय भुगतान की बाबत आयकर के लिए आयकर प्राधिकारियों के प्रति जवाबदेह है वहां निगम ऐसे भुगतान से आय कर के समकक्ष धनराशि काट लेगा और इस प्रकार काटी गई धनराशि के लिए अंशदाताओं के प्रति जवाबदेह नहीं होगा।

17. <u>नामांकन</u>

(क) प्रत्येक अंशदाता स्कीम के तहत लाभार्थी अथवा लाभार्थियों के रूप में पति पत्नी अथवा अपने आश्रितों को नामित करेगा ताकि वे अंशदाता की मृत्यु होने पर अपेक्षित लाभ प्राप्त कर सकें।

(ख) इस नियम के तहत की गई प्रत्येक नामजदगी/नामांकन अंशदाता के हस्ताक्षर के साथ लिखित रूप में होगा तथा लाभार्थी की मृत्यु होने तक अथवा अंशदाता द्वारा उसे लिखित रूप में नकारने पर और उसके द्वारा इस संबंध में उपर्युक्त ढ़ंग से नई नामजदगी/नामांकन किए जाने तक लागू एवं प्रभावी रहेगा।

(ग) कोई भी अंशदाता समय-समय पर अथवा नामिति की सहमति के बिना किसी भी समय, यदि ऐसा हो, निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन अथवा सीएसी पर परिवर्तन की बावत लिखित नोटिस देकर नामिति को हटा सकता है अथवा उसे बदल सकता है, जिसके फलस्वरूप परिवर्तन से संबंधित रसीद और नये नामितों के नाम का पंजीकरण अंशदाता को नये नामिति के नाम सहित ऑनलाईन/सीएसी पर दे दिया जाएगा। नई नामजदगी नोटिस देने की उस तारीख से प्रभावी होगी जब उस पर हस्ताक्षर किए गए थे और यदि अंशदाता परिवर्तन से संबंधित पावती प्राप्त करने से पहले किसी भुगतान की बाबत निगम के प्रति कोई भी भेद-भाव रखे बिना पावती की तारीख पर जीवित है या नहीं, इन तथ्यों को भी दृष्टिगत रखा जाएगा।

(घ) यदि नामिति अपनी नामजदगी के समय अवयस्क है अथवा अन्यथा दिव्यांग है तो वह एलआईसी को विधिक पावती अथवा डिस्चार्ज होने के बावत विवरण प्रस्तुत करेगा। अंशदाता को उपर्युक्त नामजदगी के समय एक ऐसे व्यक्ति को नामजद करना चाहिए जो वयस्क होने के साथ-साथ निगम को विधिक पावती और डिस्चार्ज देने में सक्षम हो तथा जिसको ऐसे नामिति की ओर से लाभों की अदायगी तब तक प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा जब तक कि ऐसी अवयस्कता अथवा दिव्यांगता जारी रहेगी।

(ड.) यदि एक से अधिक नामिति को नामजद किया जाता है और ऐसी नामजदगी में अंशदाता अपने हित को अभिव्यक्त करने मे असफल रहता है तब वे सभी नामिति उसमें बराबर के हिस्से के हकदार होंगे। यदि किसी विनियुक्त नामिति की अंशदाता के पहले मृत्यु हो जाती है, तब ऐसी धनराशि उन शेष नामितियों को दी जाएगी जो अंशदाता के मरने के बाद जीवित हैं और यह

व्यवस्था तब प्रतिपादित होगी जबकि अंशदाता ने निर्धारित प्रपत्र में एलआईसी को लिखित रूप में अथवा अन्यथा आवेदन किया हो।

18 दिशा-निर्देशों की व्याख्या

स्कीम की सदस्यता प्राप्त करने की यह शर्त होगी कि इन दिशा-निर्देशों की व्याख्या अथवा सदस्यता समाप्त होने के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रश्न उठने पर डीएसीएंडएफडब्ल्यू का निर्णय अंतिम होगा।

19 विभिन्न प्रतिभागी अभिकरणों के बीच समन्वयन

डीएसीएंडएफडब्ल्यू ने स्कीम के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए भाग लेने वाले विभिन्न अभिकरणों अर्थात एलआईसी, सीएससी - एसपीवी, एनपीसीआई, आईडीबीआई और आईबीए के साथ विस्तृत रूप में तैयार किए गए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों में इन अभिकरणों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उल्लेख है तथा इसमें ये भी दिशा-निर्देश हैं कि स्कीम का सुचारू कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाए। इसके अलावा, डीएसीएंडएफडब्ल्यू ने मुख्य वित्तीय संस्थानों/प्राधिकरणों यथा वित्त मंत्रालय के अधीन वित्त सेवा विभाग (डीएफएस) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) तथा भारतीय बीमा विनियम एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) का भी आह्वान किया है कि वे स्कीम का सुचारू और सफल प्रचालन सुनिश्चित करें।

20 समीक्षा, अनुवीक्षण और शिकायत निवारण कार्य व्यवस्था

क) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, एमईआईटीवाई, व्यय विभाग, वित्त सेवा विभाग और किसी अन्य विभाग के सचिवों की सदस्यता के साथ मंत्रीमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति कार्यान्वयन कार्यनीतियों के जरिए स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुवीक्षण का कार्य करेगी। यह समिति इस स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रीमंडल द्वारा अनुमोदित स्कीम के समग्र वित्तीय मानदंडों के भीतर स्कीम में किसी भी अपेक्षित आशोधन को मंजूरी दे सकती है।

ख) स्कीम का समग्र कार्यान्वयन डीएसीएंडएफडब्ल्यू में केंद्रीय स्तर पर पीएम-किसान स्कीम के लिए स्थापित परियोजना अनुवीक्षण इकाई (पीएमयू) द्वारा किया जाएगा। पीएमयू स्कीम के लिए प्रचार अभियान (सूचना शिक्षा और संचार - आईईसी) भी करेगा। इसके साथ-साथ पीएमयू विभिन्न प्रशासनिक खर्चों को भी वहन करेगा।

ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य सरकार स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल विभाग को नियुक्त करने के साथ-साथ स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र सरकार के साथ समन्वयन करेगी।

घ)   राज्य नोडल अधिकारियों, राज्य स्तर की बैंकर समिति और एलआईसी के क्षेत्रीय प्रबंधक के प्रतिनिधित्व के साथ राज्य और जिला स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला स्तरीय राजकीय अधिकारियों के साथ डीएलवीसी और एलआईसी के भी प्रतिनिधि होंगे।

ड.)   राष्ट्रीय स्वचालित बेबाकी केंद्र (एनएसीएच) व्यवस्था के जरिए आदान-प्रदान से संबंधित सभी विवादों का निराकरण एनपीसीआई द्वारा प्रदत्त विवाद प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) के जरिए बैंकों द्वारा किया जाएगा। प्रायोजक बैंक के मामलों में उत्पन्न विवादों का निराकरण विवाद शुरू होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि प्रायोजक बैंक निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब नहीं देता है/विवाद का समाधान नहीं करता है तो विवादित धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनुरक्षित प्रायोजक बैंक के निपटान खाते में डाल दिया जाएगा।

च)   उपर्युक्त विवादों के अलावा किसी अन्य विवाद का निराकरण एलआईसी, प्रायोजक बैंक और मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तथापि, इस संबंध में अन्य प्रतिभागी हितधारकों की कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जाएगी। विवाद निराकरण से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख संबंधित समझौता ज्ञापनों में किया गया है।

छ)   निष्पादन, शिकायत निवारण, विवाद समाधान आदि से संबंधित किसी भी मामले को संयुक्त सचिव (किसान कल्याण), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली -110001 के पास भेजा जाएगा।

****